न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थना–पत्र संख्या – 38/2012.

1. रामकिशन पुत्र रामनाथ (फौत दिनांक 04.10.2019)

1/1. रामलाल
1/2 श्योजीराम
1/3. रामप्रसाद
1/4. रामफूल
पुत्रान स्व. श्री रामकिशन

समस्त जाति जाट निवासीगण– चौपड़ो की ढाणी, ग्राम रामसिंहपुरा (वाटिका) तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

1/5. गुलाब देवी पुत्री स्व. श्री रामकिशन धर्मपत्नि श्री भैरूराम जातिजाट निवासी– चौपड़ो की ढाणी, ग्राम रामसिंहपुरा (वाटिका) तहसील – सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी– ग्राम मोहब्तपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

1/6. कैलाशी देवी पुत्री स्व. श्री रामकिशन धर्मपत्नि श्री रामनिवासजाति जाट निवासी– चौपड़ो की ढाणी, ग्राम रामसिंहपुरा (वाटिका) तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम मोहब्तपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर।

1/7. विमला देवी पुत्री स्व. श्री रामकिशन धर्मपत्नि श्री मोतीराम जाति जाट निवासीगण– चौपड़ो की ढाणी, ग्राम रामसिंहपुरा (वाटिका) तहसील– सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी– ग्राम मोहब्तपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

– – –प्रार्थीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र श्योराम
2. नानगराम
3. ग्यारसीलाल
4. रामदयाल
5. रामावतार

पुत्रान स्व. श्री अर्जुन

6. बजरंगलाल
7. राजूलाल

पुत्रान स्व. श्री हरिनारायण

8. घीसी पत्नि स्व. श्री हरिनारायण समस्त जाति जाट निवासीगण– चौपड़ो की ढाणी, ग्राम रामसिंहपुरा (वाटिका), तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर, जरिये शाखा प्रबंधक।
10. कोटक महिन्द्रा बैंक लि. शाखा चौमू हाऊस के पास, सी–स्कीम, जयपुर, जरिये प्रबंधक।
11. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:33:48 IST
Reason: SelfAttested

–प्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956.

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)

निर्णय दिनांकः— 19-2-2021

प्रार्थी रामकिशन की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत आठ की पैतृक सहखातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1851 रकबा 1.00 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1889 रकबा 1.30 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 1856 रकबा 0.07 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 2.37 हैक्टयर ग्राम रामसिंहपुरा पटवार हल्का रामसिंहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। आवेदन के पेरा संख्या एक में वर्णित वादग्रस्त भूमि की खतौनी बन्दोबस्त सन् 1989–2009 का खाता संख्या 157 में खातेदारान प्रार्थी एवं सूजा बेवा लक्ष्मीनारायण का हिस्सा 1/5 अप्रार्थी संख्या एक के हकपूर्वाधिकारी पिता श्योराम पुत्र रामनाथ का हिस्सा 1/5 जीवण पुत्र रामनाथ का हिस्सा 1/5 अप्रार्थी संख्या दो लगायत पांच के हकपूर्वाधिकारी अर्जुन पुत्र रामनाथ का हिस्सा 1/5 व अप्रार्थी संख्या छह लगायत आठ के हकपूर्वाधिकारी हरिनारायण पुत्र रामनाथ का हिस्सा 1/5 शुद्ध अंकित है। वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार हरिनारायण पुत्र रामनाथ का देहान्त होने पर उक्त वादग्रस्त भूमि की विरासत का नामान्तकरण संख्या 14 दिनांक 25.05.1992 को नियमानुसार उसके वारीस अप्रार्थी संख्या छ लगायत आठ के हक में स्वीकृत किया गया तथा वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार जीवण पुत्र रामनाथ का देहान्त होने पर उक्त वादग्रस्त भूमि की विरासत का नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 25.5.1992 नियमानुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्योराम, अप्रार्थी संख्या दो लगायत पांच के पिता अर्जुन का हिस्सा 3/4 व अप्रार्थी संख्या छह लगायत आठ हिस्सा 1/4 के हक में स्वीकृत किया गया है। वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार श्योराम पुत्र रामनाथ का देहान्त होने पर उक्त वादग्रस्त भूमि की विरासत का नामान्तकरण संख्या 45 दिनांक 13. 09.1996 नियमानुसार उसके वारिस अप्रार्थी संख्या एक व मु. केसर बेवा श्योराम के हक में स्वीकृत किया गया। आवेदन के पेरा संख्या एक, दो, तीन व चार में वर्णितानुसार वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार अर्जुन पुत्र रामनाथ का देहान्त होने पर उक्त वादग्रस्त भूमि की विरासत का नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 05.12.2006 नियमानुसार उसके वारिसान अपार्थी संख्या दो लगायत पांच के हक में स्वीकृत किया गया। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उपरोक्त स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 14 एवं 15 के अनुसार खतौनी बन्दोबस्त सन् 1989–2009 में प्रार्थी का हिस्सा 1/10 + 1/20=3/20 एवं सूजा बेवा लक्ष्मीनारायण का हिस्सा 1/10 अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्योराम का हिस्सा 1/5+ 1/20=1/4 अप्रार्थी संख्या दो लगायत पांच के पिता अर्जुन का हिस्सा 1/5 +1/20=1/4 व अप्रार्थी संख्या छ लगायत आठ का हिस्सा 1/5+ 1/20 = 1/4 शुद्ध अंकित होना चाहिये था, जिसके स्थान पर अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्योराम अप्रार्थी संख्या दो लगायत पांच के पिता अर्जुन पिसरान रामनाथ हिस्सा 8/15, अप्रार्थी संख्या छ लगायत आठ का हिस्सा 4/15 व प्रार्थी रामकिशन एवं सूजा बेवा लक्ष्मीनारायण का हिस्सा 1/5 का अंकन कर दिया गया है तत्पश्चात् उपरोक्तानुसार वादग्रस्त भूमि के [illegible] नारायण ने उक्त वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्सा 1/10 सम्पूर्ण [illegible] पक्ष में हक त्याग करने पर नामान्तकरण संख्या 237 [illegible] नियमानुसार प्रार्थी के हक में स्वीकृत किये जाने पर [illegible] के हिस्सा 1/4 का खातेदार है। उपरोक्तानुसार वादग्रस्त भूमि के खाते[illegible] केसर मु. श्योराम के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि में केसर का हिस्सा 1/8 सम्पूर्ण को अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:33:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर (द्वितीय)

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)

संख्या एक छीतर को विरासत में प्राप्त होने पर उसके हक में विरासत का नामान्तकरण संख्या 138 दिनांक 20.07.2006 को नियमानुसार अप्रार्थी संख्या एक के हक में स्वीकृत किये जाने पर अप्रार्थी संख्या एक वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/4 का खातेदार है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1851 रकबा 1.00 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1889 रकबा 1.30 हैक्टयर कुल किता 02 कुल रकबा 2.30 हैक्टयर के सम्बन्ध में हाल भू–प्रबन्ध के पश्चात निर्मित जमाबन्दियों में खातेदारान अप्रार्थी संख्या एक हिस्सा 4/15, अप्रार्थी संख्या दो लगायत चार हिस्सा 1/5 बिला रहन अप्रार्थी संख्या पांच हिस्सा 1/5 राहिन अप्रार्थी संख्या दस मुर्तहीन, अप्रार्थी संख्या छः लगायत्त आठ हिस्सा 4/15 व प्रार्थी हिस्सा 1/5 एवं व खसरा नम्बर 1856 रकबा 0.07 हैक्टयर के खातेदारान अप्रार्थी संख्या एक का हिस्सा 4/15, अप्रार्थी संख्या दो लगायत पांच का हिस्सा 4/15, अप्रार्थी संख्या छः लगातय आठ का हिस्सा 4/15 व प्रार्थी का हिस्सा 1/5 का अशुद्ध अंकन कर दिया। आवेदन के पैरा संख्या छः में वर्णितानुसार वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार प्रार्थी के हिस्से का खतौनी बन्दोबस्त सन् 1989–2009 तक में अशुद्ध अंकन हो जाने के फलस्वरूप राजस्व जमाबंदियों में भी अशुद्ध अंकन हो गया। प्रार्थी अधिकारी है कि वह मान्य न्यायालय से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे भू राजस्व अभिलेखों में हिस्सों के हुए अशुद्ध अंकन को कलमजन करवा कर उसके स्थान पर सही एवं शुद्ध हिस्सा का अंकन करावे प्रार्थी को वाद कारण वादग्रस्त भूमि की भू–अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त होने पर उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। आवेदन पत्र में अप्रार्थी संख्या नौ व दस के द्वारा ऋण दिये जाने के कारण प्रारूपिक पक्षकार बनाया गया है, इनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष इस प्रार्थना पत्र में नहीं चाहा गया है। वादग्रस्त भूमि ग्राम रामसिंहपुरा, पटवार हल्का रामसिंहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। आवेदन उचित न्याय शुल्क 02/– रूपये पर श्रीमान् के समक्ष पेश अतः आवेदन मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम रामसिंहपुरा पटवार हल्का रामसिंहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1851 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1889 रकबा 1.30 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1856 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 2.37 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भू–राजस्व अभिलेखों में हो रहे हिस्सों के अशुद्ध अंकन को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का हिस्सा 1/4, अप्रार्थी संख्या एक का हिस्सा 1/4, अप्रार्थी संख्या दो लगायत पांच का हिस्सा 1/4 अप्रार्थी संख्या छः लगायत आठ का हिस्सा 1/4 का शुद्ध अंकन भू–राजस्व अभिलेखों में किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या एक लगातय दस की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु उनकी ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या एक लगायत दस उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किये गये। प्रार्थी रामकिशन को देहान्त दिनांक 04.10.2019 को हो जाने पर उसके विधिक वारिसान को प्रकरण मे प्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/7 को पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी संख्या [illegible] की ओर से जबाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम [illegible] खसरा नं. 1851 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नं. 1889 [illegible] किता 2 रकबा 2.30 हैक्टेयर के सम्बन्ध में छीतर पुत्र श्योराम हि. 1/4 राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा वाटिका मुर्तहीन, ग्यारसीलाल पुत्र अर्जुन हि. 1/16 राहिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:33:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर (द्वितीय)

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)

सिंडीकेट बैंक शाखा वाटिका मुर्तहीन, नानगराम व रामदयाल पि. अर्जुन हि.ब. 1/8 बिला रहन, रामावतार पुत्र अर्जुन हि. 1/16 राहिन कोटक महेन्द्रा बैंक लि. जयपुर मुर्तहीन, बजरंगलाल व राजाराम पि. हरिनारायण एंव घीसी पत्नी स्व0 हरिनारायण हि. 1/4, रामकिशन पुत्र रामनाथ हि. 1/4 जाति जाट सा. देह व खसरा नं. 1856 रकबा 0.07 के सम्बन्ध में छीतर पुत्र श्योराम हि. 1/4 राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक मुर्तहीन नानगराम, ग्यारसीलाल, रामदयाल, रामावतार पि. अर्जुन हि. ब. हि. 1/4, बजरंगलाल व राजूलाल पि. हरिनारायण एंव घीसी पत्नी स्व. हरिनारायण हि. 1/4, रामकिशन पुत्र रामनाथ हि. 1/4 जाति जाट सा. देह का नाम शुद्ध प्रविष्टि करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का दोहरान किया तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात खतौनी बन्दोबस्त सन 1989 से 2009 , नामान्तरण संख्या – 14 ,15, 45, 138 ,153, 161, 324 व जमाबन्दी पर ध्यानाकार्षित कराया तथा बहस मे तर्क दिये कि अप्रार्थी संख्या ग्यारह ने प्रार्थना पत्र को मंजूर किये जाने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही की तथा अप्रार्थी संख्या एक लगायत आठ की ओर किसी प्रकार को जबाब अथवा काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो का खण्डन नही किया ऐसी अवस्था मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे, अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया खतौनी बन्दोबस्त सन् 1989–2009 का खाता संख्या 157 का खसरा नम्बर 1851 रकबा 1.00 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1889 रकबा 1. 30 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 1856 रकबा 0.07 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 2.37 हैक्टयर में खातेदारान प्रार्थी एवं सूजा बेवा लक्ष्मीनारायण का हिस्सा 1/5, अप्रार्थी संख्या एक के हकपूर्वाधिकारी पिता श्योराम पुत्र रामनाथ का हिस्सा 1/5, जीवण पुत्र रामनाथ का हिस्सा 1/5, अप्रार्थी संख्या दो लगायत पांच के हकपूर्वाधिकारी अर्जुन पुत्र रामनाथ का हिस्सा 1/5 व अप्रार्थी संख्या छह लगायत आठ के हकपूर्वाधिकारी हरिनारायण पुत्र रामनाथ का हिस्सा 1/5 अंकित है। अभिलिखित खातेदार हरिनारायण पुत्र रामनाथ का देहान्त होने पर उक्त वादग्रस्त भूमि की विरासत का नामान्तकरण संख्या 14 दिनांक 25.05.1992 को नियमानुसार उसके वारीस अप्रार्थी संख्या छ लगायत आठ के हक में स्वीकृत किया गया। वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार जीवण पुत्र रामनाथ का देहान्त होने पर उक्त वादग्रस्त भूमि की विरासत का नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 25.5.1992 नियमानुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्योराम, अप्रार्थी संख्या दो लगायत पांच के पिता अर्जुन का हिस्सा 3/4 व अप्रार्थी संख्या छह लगायत आठ हिस्सा 1/4 के हक में स्वीकार किया गया है। अभिलिखित खातेदार श्योराम पुत्र रामनाथ का देहान्त होने पर उक्त वादग्रस्त भूमि की विरासत का नामान्तकरण संख्या 45 दिनांक [illegible] नियमानुसार उसके वारिस अप्रार्थी संख्या एक व मु. कैसर बेवा श्योराम के हक में स्वीकृत किया गया। वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार अर्जुन पुत्र रामनाथ का देहान्त होने पर उक्त वादग्रस्त भूमि की विरासत का नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 05.12.2006 नियमानुसार उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या दो लगायत पांच के हक में स्वीकृत किया गया। उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से प्रथमदृष्टया साबित है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में स्वीकृत नामान्तकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:33:48 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 14 एवं 15 के अनुसार खतौनी बन्दोबस्त सन् 1989–2009 में प्रार्थी का हिस्सा 1/10 + 1/20=3/20 एवं सूजा बेवा लक्ष्मीनारायण का हिस्सा 1/10 अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्योराम का हिस्सा 1/5+ 1/20=1/4 अप्रार्थी संख्या दो लगायत पांच के पिता अर्जुन का हिस्सा 1/5 +1/20=1/4 व अप्रार्थी संख्या छ लगायत आठ का हिस्सा 1/5+ 1/20 = 1/4 शुद्ध अंकित होना चाहिये था, जिसके स्थान पर अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्योराम अपार्थी संख्या दो लगायत पांच के पिता अर्जुन पिसरान रामनाथ हिस्सा 8/15, अप्रार्थी संख्या छ लगायत आठ का हिस्सा 4/15 व प्रार्थी रामकिशन एवं सूजा बेवा लक्ष्मीनारायण का हिस्सा 1/5 का अशुद्ध अंकन कर दिया गया है तत्पश्चात् वादग्रस्त भूमि के खातेदार सूजा बेवा लक्ष्मीनारायण ने उक्त वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्सा 1/10 सम्पूर्ण को प्रार्थी के पक्ष में हक त्याग करने पर नामान्तकरण संख्या 237 दिनांक 20.08.2008 को नियमानुसार प्रार्थी के हक में स्वीकृत किये जाने पर प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/4 का खातेदार है। उपरोक्तानुसार वादग्रस्त भूमि के खातेदार केसर मु. श्योराम के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि में केसर का हिस्सा 1/8 सम्पूर्ण को अप्रार्थी संख्या एक छीतर को विरासत में प्राप्त होने पर उसके हक में विरासत का नामान्तकरण संख्या 138 दिनांक 20.07.2006 को नियमानुसार अप्रार्थी संख्या एक के हक में स्वीकृत किये जाने पर अप्रार्थी संख्या एक वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/4 का खातेदार है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1851 रकबा 1.00 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1889 रकबा 1.30 हैक्टयर कुल किता 02 कुल रकबा 2.30 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1856 रकबा 0.07 हैक्टयर के सम्बन्ध में हाल भू प्रबंध के पश्चात निर्मित जमाबन्दीयों में खातेदारान अप्रार्थी संख्या एक का हिस्सा 4/15, अप्रार्थी संख्या दो लगायत चार का हिस्सा 1/5 बिला रहन, अप्रार्थी संख्या पांच का हिस्सा 1/5 राहिन, अप्रार्थी संख्या दस मुर्तहीन, अप्रार्थी संख्या छ लगातय आठ का हिस्सा 4/15 व प्रार्थी का हिस्सा 1/5 खाता संख्या 47 में खातेदारान अप्रार्थी संख्या एक का हिस्सा 4/15, अप्रार्थी संख्या दो लगायत पांच का हिस्सा 4/15, अप्रार्थी संख्या छः लगातय आठ हिस्सा 4/15 व प्रार्थी का हिस्सा 1/5 का अशुद्ध अंकन कर दिया है जो कि एक लिपकीय त्रुटि है उक्त त्रुटि को अप्रार्थी संख्या ग्यारह राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार यदि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कोई लिपकीय त्रुटि को नोटिस किया जावे तो संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा ऐसी गलतियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत शुद्ध कर सकेगा तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत किसी को कोई नये खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते बल्कि रेकार्ड के आधार पर जो पूर्व मे हक व अधिकार निहित थे और जो सही एवं वास्तविक स्थिति थी उसके अनुरूप ही त्रुटियो की शुद्धि की जा सकती है।

प्रकरण के समग्र तथ्यो व दस्तावेजात का अवलोकन करने तथा विधि का गहनता से अध्ययन करने पर पाया कि खातेदार रामकिशन पुत्र रामनाथ का हिस्सा 1/4 राजस्व अभिलेख में शुद्ध दर्ज होना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मचारियो के द्वारा लिपकीय त्रुटि कारित कर प्रार्थी खातेदार रामकिशन पुत्र रामनाथ का हिस्सा 1/5 राजस्व अभिलेख मे अशुद्ध दर्ज किया गया। इसलिये प्रार्थी का अशुद्ध हिस्सा 1/5 के बजाय शुद्ध हिस्सा 1/4 दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:33:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर (द्वितीय)

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रामसिंहपुरा में स्थित आराजी खसरा नं. 1851 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नं. 1889 रकबा 1.30 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.30 हैक्टेयर के भू–राजस्व अभिलेखों में अंकित हिस्सो के अशुद्ध अंकन को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी संख्या 1/1 लगयात 1/7 का हिस्सा बराबर 1/4 व अप्रार्थी संख्या एक छीतर पुत्र श्योराम हि. 1/4 राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा वाटिका मुर्तहीन, अप्रार्थी संख्या तीन ग्यारसीलाल पुत्र अर्जुन हि. 1/16 राहिन सिंडीकेट बैंक शाखा वाटिका मुर्तहीन, अप्रार्थी संख्या दो नानगराम व अप्रार्थी संख्या चार रामदयाल पि. अर्जुन हिस्सा बराबर 1/8 बिला रहन, अप्रार्थी संख्या पॉच रामावतार पुत्र अर्जुन हि. 1/16 राहिन कोटक महेन्द्रा बैंक लि. जयपुर मुर्तहीन, अप्रार्थी संख्या 6 बजरंगलाल व अप्रार्थी संख्या सात राजाराम पि. हरिनारायण एंव अप्रार्थी संख्या आठ घीसी पत्नी स्व0 हरिनारायण हिस्सा बराबर 1/4 जाति जाट सा. देह व खसरा नं. 1856 रकबा 0.07 के सम्बन्ध में प्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/7 का हिस्सा बराबर 1/4, अप्रार्थी संख्या एक छीतर पुत्र श्योराम हि. 1/4 राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक मुर्तहीन, अप्रार्थी संख्या दो लगायत पॉच नानगराम, ग्यारसीलाल, रामदयाल, रामावतार पि. अर्जुन हिस्सा बराबर 1/4, अप्रार्थी संख्या छः लगायत आठ बजरंगलाल व राजाराम पि. हरिनारायण एंव घीसी पत्नी स्व. हरिनारायण हिस्सा बराबर 1/4 जाति जाट सा. देह के नाम का शुद्ध अंकन की प्रविष्ठी भू–राजस्व अभिलेखो में किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर, को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.2.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:33:48 IST
Reason: SelfAttested